न्य २०१५-१५ Nº 027907 रियाम के निवाधन दत्र प्रमाण-पत्र 968

में इसके ब्राया प्रमाणित करता है कि "सजावित" विग्रा" स्थान

गुप्प- विश्वायरापुर् ... पीठ- दार्यपत्या .. धार्म- प्रांत- प्रांत्राहार .. निव्या- डोग्यात्राहार

िग्रहारी द्रियं है रिवर्ग

सोरेवाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन बाज व्यावन् निवनिषत हुआ हुई

मास मार्थ व्यक्ति हम्मा पटना में भेरे हस्तायर के सर्वा अ

साथ विया नया।

की क्रियोंक को उन्हें के अस्ति में जार्पिक निक्षण क्षिता बाद ग्रम्भ व्यक्ति क्ष्मिक्षण क्षम् のない Pader (2000年の大) 186以前 のが

नारतो, नहारि शिलक, निवस्ता, विहार, परना

Principal

Bishambharpur, Gopalgani

• पत्र संख्या-बी॰ एस॰³-10.7.190 —/ 2014 - 279 निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय (दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

	समावल	शिया संस	थान)	
			of VE	
443.4				 ,

पटना, दिनांक-10-3-15

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रिनस्ट्रेशन एक्ट २१, १८६० के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल। निवंधित। अभिलेखित किया गया । किये गये।

फीस का ज्ञाप रू॰ ५०/-(पचास रूपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्रा/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

> वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना।

भी विकास कुमार सिंह, याचान, संभावल द्यामा संस्थान गुम- विशामराषुर ची०- धर्मपरसा साना- मॉम्पां गढ़ भिला- भोपालकोंग, पिन मोड-४४१४२२ (विहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या — दिनांक — के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलब्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

Principal
R M Public School
Bishambharpur, Gopalgani

CS DAY PUBLIC SCHOOL

PO. MOTHARI OR REAL

PO. MOTHARI OR REAL

PO. MOTHARI OR REAL

PO. MOTHARI OR REAL

NOTHARI OR REAL

PO. MOTHARI OR REAL

PO. MOTHARI

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, प्रामा संवा में.

श्रीमान् सहायक निबंधन महानिरीक्षक पहोदयं, निवंधन विभाग, नया सचिवालय, बिहार, पटनाः।

" सजावल शिक्षा संस्थान " नामक संस्था का निबंधन करने क विषय :-संबंध में।

महाशय,

निवंदन पूर्वक कहना है कि " सजावल शिक्षा संस्थान "के निबंधन कराने हेतु संस्था का आलेख्य यथा आम-सभा का प्रस्ताव, स्मृति-पत्र, नियमावली एवं 501-रूपये का कोषागार चालान, 521- रू० का डाक टिकटयुक्त लिफाफा तथा अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने हेतु 50/- रू० का नन-जुडिसियल स्टाम्प पेपर एवं 15/- रू० का -कोबागार चालान, संस्था कार्यालय के पता का प्रमाण-पत्र की प्रति, संस्था के कार्यकारिक पदाधिकारी का पहचान-पत्र की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर जमा कर रहा हूँ ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि "सजावल शिक्षा संस्थान" का निबंधन संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक -

- आम -संभा का प्रस्ताव तीन प्रति में !
- 2. स्मृति-पत्र तीन प्रति में ।
- 3. नियमावली तीन प्रति में ।
- 4. कोषागार चालान 50/- रू० और 15/- रु०
- 5. नन-जुडिसियल स्टाम्य पेपर 50/- रू०
- 52/- रू० का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा
- 7. अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष के आवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
- 8. संस्था कार्यालय का प्रमाण पत्र एवं एक फोटो जो अध्यक्ष या सचिव से अभिप्रमाणित हो ।
- 9. संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त फोटो

Bishambharpur, Gopalgan

Vilcas Komar Singl

Vileas Kemar Ringh

· आज दिनांक 15.03.2013 को " सजावल शिक्षा संस्थान " की आए सम की बैठक अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकार। कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसम निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये ।

प्रस्ताव संख्या-1

. सर्वसम्मित से यह निणंय लिया गया कि " सजावल शिक्षा संस्थान "का निबंधन, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या-2

साथ ही सर्वसम्मिति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार सचिव श्री विकास कुमार सिंह को सौंपा जाय ।

Paremprosings history ह0/- अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम-सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

Premprakash kumar अध्यक्ष

Vilcas Komar Sin सचिव

Principal R M Public School Bishambharpur, Gopalgani का

स्मृति-पत्र

संस्था का नाम

" सजावल शिक्षा संस्थान "

्र प्रधान कार्यालय

इस संस्था का प्रधान कार्यालय- ग्राम -विशमरापुर पो0- धर्मपरसा, थाना- मौझागढ़, जिला- गोपालगंज पिन कोड- 841427 (बिहार) में रहेगा।

आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र

4.

उद्देश्य -

इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा । इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-

- संस्था द्वारा समाज के असहाय महिलाओं, दिलत, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप सं कमजोर वर्गों, आदिवासियों, अनायों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- 2. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा; पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बिधर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे पढ़ने में मदद करना।

संस्था द्वारा मेघावी छात्र-छात्राओं को उचित मार्गदर्शन एवं प्रतियोगिता में सफलता प्रान्त

करने हेतु कार्यक्रम संचालित करना ।

. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवितयों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलियि कम्प्यूटर, मोबाईल भरम्मित, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।

संस्था द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम एवं मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । फसल बीमा, पशु बीमा एवं अन्य बीमा की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना तथा बंजर भूमि का निवारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना ।

6. अन्य महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुडिया, आचार, मुरबा, जैली, जैम आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।

7. निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं


स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।

Fire Congress



Principal R M Public School Bishambharpur, Gopalganj

- 8. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला महल, महिला स्वापन किया स्वापन किया समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का सम्बापन किरना ।
- 9. महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुनंवास की व्यवस्था करना ।
- 10. संस्था द्वारा लोगों के आर्थित उन्नित हेतु सुक्षम ऋण पद्धति (माईक्रोफिनाईन्स) कार्यक्रमां का संचालन करना तथा लोगों को लाभान्वित कराना ।
- 11. विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन
- 12. समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त दान शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना ।
- 13. असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टीएबीए कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रिसत लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा, एम्बुलेश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा. । विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।
- 14. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना ।
- 15. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, कम लागत के शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।
- 16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना ।
- 17. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यों में सहयोग करना ।
- 18. समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना । धीक्षाटन उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना ।
- 19. संस्था द्वारा युवक युवितयों को कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्कमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।
- 20. औषधीय, सुगंधी पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपत्का कराना ।
- 21. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना । कलाकरों को प्रोत्साहित कराना । संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतृ प्रयास करेंगी तथा देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- 22. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, व्यस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।





R M Public School Bishambharpur, Gopalgani निम्निलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पित का नाम, पता, पशा पद एव स्वहस्तावासा कोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

	寿0	नाम, पिता। पति का	पता	पशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपाट साईज फोटो
		2	3	4	5	6
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		समाज	अध्यक्ष	
	1	श्री प्रेम प्रकाश कुमार पिता-श्री रामाशंकर	जलालपुर शहर/गाँव- साफापुर	सेवा	010441	
			अंचल- माँझागढ	सपा		
		सिंह	जिला- गोपालगंज			Mente
			जिला- गापालगण			
9						
,						
	2	श्री विकास कुमार	जलालपुर	समाज	सचिव	
3		सिंह	शहर/गाँव- साफापुर	सेवा	1	
N. Salar	0	पिता-श्री रामाशंकर	अंचल- माँझागढ	14.72.386	THE STREET	N TOTAL V
ch		सिंह	जिला- गोपालगंज			
		isig				
7						
3						11.11.54
20						halder Johnar 21
Vikas Koman		h		707002	कोषाध्यक्ष	
4	3	श्री प्रभाष कुमार	आधारपुर	समाज	पगपाञ्चवा	
9		पिता असे राजेन्द्र सिंह vikas Kumar smal	शहर/गॉव- बाला	सेवा		
~		vikas Kumur	अंचल- बसंतपुर जिला- सीवान			
4			ाजला- सावान			
	4	श्री प्रदीप कुमार सिंह	कमनपुरा	समाज	सदस्य	
		पिता-श्री वैधनाथ	शहर/गाँव- धर्मपरसा	सेवा		· Pare
		सिंह	अंचल- माँझागढ			(486)
			जिला- गोपालगंज	A 12 1 1 1 1		
THE.						
MN	With			The state of		7
Princi	School					n July
mbharnur	School Gopalganj					191.
pul,	cohaigaul					

1			THE RESERVE OF THE PARTY OF				
			्र श्रीमती प्रेमलता देखी पति-श्री स्मेश सिंह .	ग्राम नारासणापुर अत्यस्त पद्मरुखी जिल्ला सोवान	संवा		El-toral State
	The	6	श्री सामा राम पिता-श्री रघुवर राम	ग्राम- साफापुर अंचल- माझागढ़ जिला- गोपालगंज	समाज सेवा	सदस्य	
0	Vites (comar sin	7	श्री सुरेन्द्र राउत पिता- श्री लॅगड राउत	ग्राम- साफापुर अंचल- मॉझगढ जिला- गोपालगंज	समाज सेवा	सदस्य	
	71./\		The Falco	l'a			

Principal
R M Public School
Sishambharpur, Gopalganj

अन्तरीत निबंधन के आकाक्षी है

	7	ं नाम, पिताः पति का नाम सम्बद्धाः स्था		पेशा	स्वहस्ताक्षीत फ्रट	
	,	า เมื่อสาราช เหมือนสาราชิน		- 4	ang Sala	-
	1	श्री प्रेम प्रकाश कुमार पिता-श्री रामाणंकर सिंह	जलीलपुर शहर/गोब- साफापुर	समाज सेवा		
		Henry Charles on the	अंचल- मौझागढ जिला- गोपालगंज	•		Premi
Singh						
道道	2	श्री विकास कुमार सिंह	जलालपुर	समाज -		
		पिता-श्री रामाशंकर किई	शहर/गाँव साफापुर अंचल- मॉझागढ	सेवा		lu.
Koman			जिला- गोपालगज			Viles Si
7 ga 1./					Who laws	
	3	श्री प्रभाष कुमार	आधारपुर	समाज	WITT STAKE!	
		पिता-अने राजेन्द सिंह Vikash Kumur Sings	शहर/गॉव- बाला अंचल- बसंतपुर	सेवा		Pratis
			जिला- सीवान			
					1,	
	4		कमनपुरा शहर/गॉव- धर्मपरसा	समाज सेवा		
			अंचल- मॉझागढ जिला- गोपालगंज			
		Souli.			- W. C.).	
Principal		291613			Bymph	6
R M Public School ahambharpur, Gopa	001	L.	0	1		
and and and	nyanj	197	1			
	- 10017	3112	9			

प्रभाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक- 01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताप्रक किए है, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ।



Rayhwendra Sharan Randay Reg. No. 294/2010.

Principal R M Public School Bishambharpur, Gopalgani

हस्ताक्षर लिल 24141 92131 13 113 XA10 0 10 100

सजावल शिक्षा संस्थान " नियमावली

संस्था का नाम

" सजावल शिक्षा संस्थान "

परिभाषा

संस्था से अभिप्राय है ख-समिति से अभिप्राय है पदाधिकारी से अभिप्राय है

वर्ष से अभिप्राय है 된-एक्ट से अभिप्राय है सदस्यता

" सजावल शिक्षा संस्थान "

संस्था को कार्यकारिणी समिति। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।

सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के जिल्ला एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्या कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 101/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्निखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

पागल या मृत्यु होने पर ।

समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर । 티--

बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

कार्यकारिणी समिति का गठन :-5.

कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे । ख-

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाला पाँच वर्षों का होगा । निवृत सदस्य पुनः चुने जा 11-सकते है। 되-

अगर सिमिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर सिमिति किसी सदस्य का मनोनीत कर सकती हैं। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

R M Public School Bishambharpur, Gopar,

JICPRINICIPAL CS DAY PUBLIC SCHOOL KOTWAROAD P.O.MOTHARICOURT BANKAT, MOTIHARI 845401

Vilcas Kesman Singl

पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष-

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।
- च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में त्निखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।
- ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- रू० तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।
- झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

- क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना
- ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।
- ख- संस्था के सभी कांचों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना
- ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

- क- सिमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
- ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना
- ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
- घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

Principal R M Public School Bishambharpur, Gopalganj

Train Can make

े. बैठक :-

- क- कार्यकारिणी सिमिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी।
- ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।
- ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकता ह

10. बैठक की सूचना:-

- क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- ग- कार्यकारिणो समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।
- ड- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी।

. प्रार्थित बैठक

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदन को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. कोरम (गणपूर्ति)

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. आय का श्रोत:-

- क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।
- ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।

14. निधि का अंकेक्षण :-

- क- · संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।
- ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किर मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा. सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायंगा जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से बाजायंगी।

जाराज किया

Principal
R M Public School
Bishambharpur, Gopalganj

पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव का अनुमित से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

- 17. <u>नियमावली में संशोधन :-</u> नियमावली में संशोधन आमसभा कं 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।
- 18. कानूनी कार्रवाई संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी।
- 19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-
 - क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।
 - ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।
 - ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य बाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Poremprakash kumar. अध्यक्ष Tradada Cuma र कोषाध्यक्ष -

Vikas kumar Singil Hचिव

नेपाल विष्यं

MC 09/03/15

Principal

R M Public School

Bishambharaur, Gopalgani